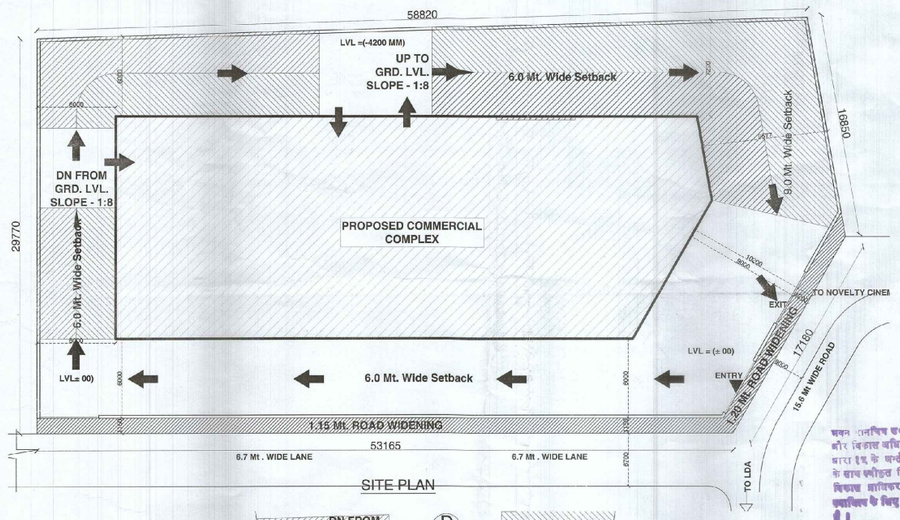

SITE PLAN

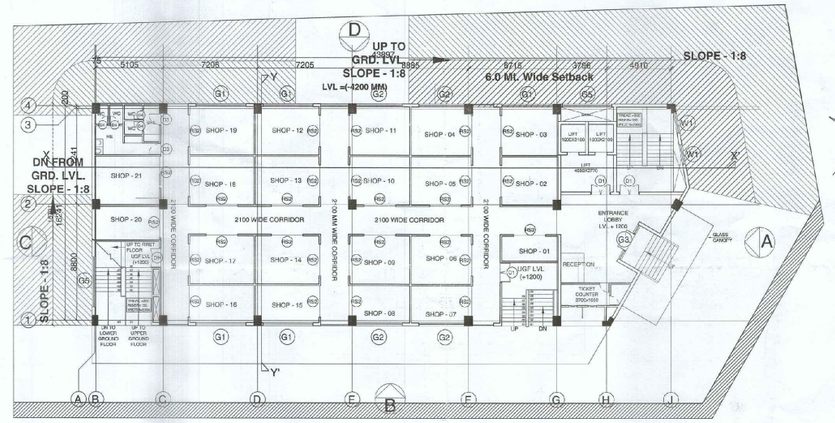

UPPER GROUND FLOOR PLAN

LVL = (+1200)

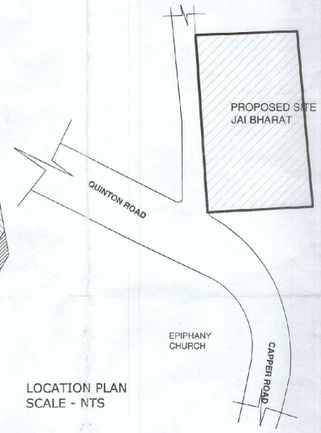

LOCATION PLAN
SCALE - NTS

EXISTING LAYOUT PLAN
SCALE - NTS

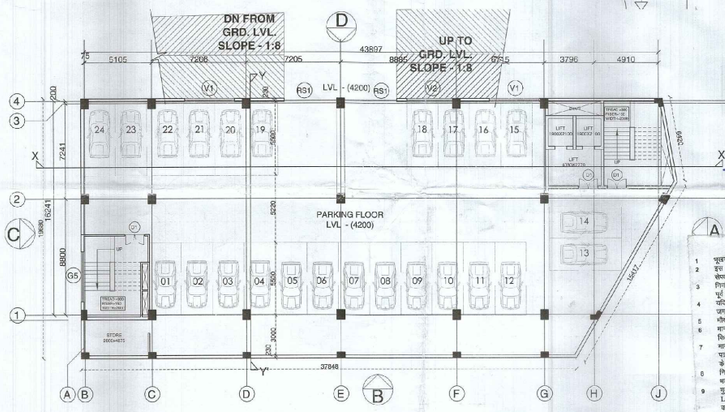

BASEMENT FLOOR PLAN

LVL = (-4200)

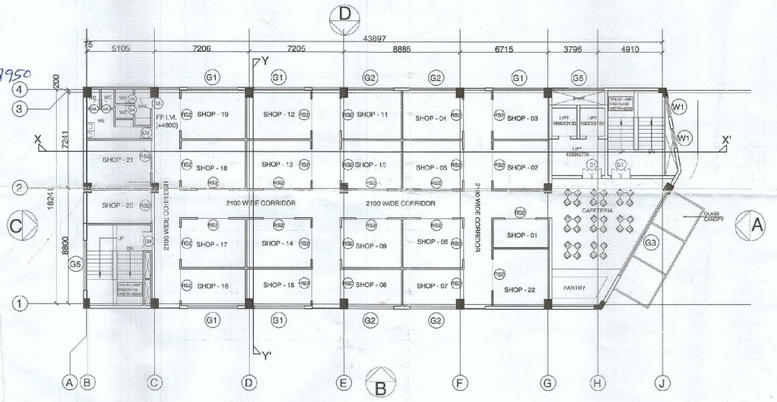

FIRST FLOOR PLAN

LVL = (+4200)

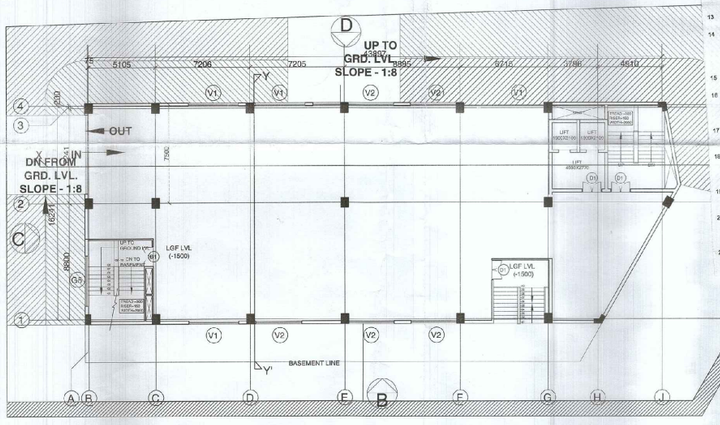

LOWER GROUND FLOOR PLAN

LVL = (-1500)

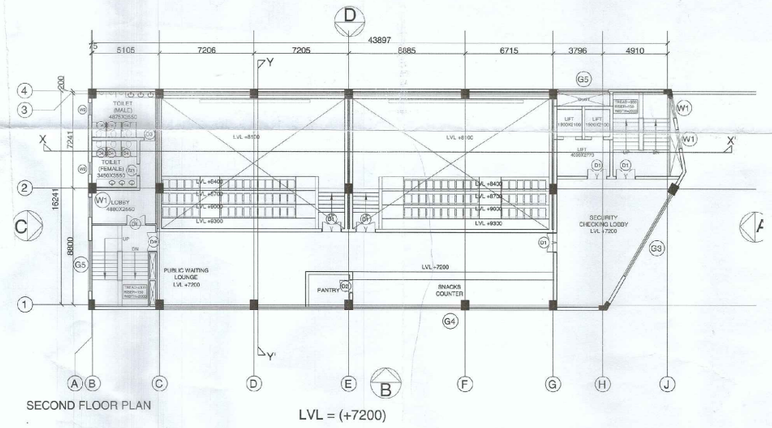

SECOND FLOOR PLAN

LVL = (+7200)

SCHEDULE OF OPENINGS:

S.NO	TYPE	OVERALL SIZE	DOOR	WINDOW	SILL	LINTEL DOOR	LINTEL WINDOW
1	D1	1500X2100	1500	-	-	2100	-
2	D2	1000X2100	1000	-	-	2100	-
3	D3	900X2100	900	-	-	2100	-
4	D4	750X2100	750	-	-	2100	-
5	RS1	4500X2100	4500	-	-	2100	-
6	RS2	2400X2100	2400	-	-	2100	-
7	RS3	1500X2100	1500	-	-	2100	-
8	W1	1500X1200	-	1500	900	-	2100
9	W2	900X900	-	900	900	-	2100
10	V1	3800X450	-	3800	1650	-	2100
11	V2	3500X450	-	3500	1650	-	2100
12	G1	3800X2400	-	3800	F.F.L.	-	2400
13	G2	3500X2400	-	3500	F.F.L.	-	2400
14	G3	7200X11400	1500	EQX2	F.F.L.	-	11400
15	G4	42180X8700	-	AS/ELE.	F.F.L.	-	5700
16	G5	3800X14400	-	AS/ELE.	F.F.L.	-	14400

PROPOSED DEMOLITION AND REDEVELOPMENT OF JAI BHARAT THEATRE AT MUNCIPAL NO.121/013 (121CC) 2, QUINTON ROAD, LALBAGH, LUCKNOW FOR NEWCON BUILDWELL PVT. LTD.THROUGH DIRECTOR/ AUTHORIZED SIGNATORY. 4TH FLOOR GANJ TRADE CENTER ,10 CAPPER ROAD,LALBAGH,LUCKNOW.

DRG. SHEET NO. - 1/2

NORTH -

SCALE=1:200

SUB TITLE:

SUBMISSION DRAWING

OWNER'S SIGN.

NEWCON BUILDWELL PVT. LTD

Director/Authorised Signatory

ARCHITECT'S SIGNATURE

Ar. Sudhanshu Shukla
COA-CA/2009/49429

भवन मानचित्र स०प्र० नगर आयुक्त और विकास अधिनियम १९७३ की धारा १६ के सर्वमत एवं प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि विकास शुल्क/भूमि विक्रय/ध्वस्तीकरण के लिए विधिक मान्य नहीं है।

आवासीय विकास परिषद
स्वीकृति
परमिट सं० 0000205905/1111/2019
स्वीकृत तिथि 11.12.2019
वैधता तिथि 10.12.2021
सचिव
सचिव प्राधिकरण

प्रतिबन्ध

1 भूखण्ड के चुने गए/प्लेटबैंक्स में नियमानुसार पेड़ लगाने होंगे।
2 इस स्वीकृति का प्रारम्भ प्रस्तावित निर्माण के किसी सुदृढ़ध्वस्त फिनाइश एवं सेफ्टी से नहीं है।
3 निर्माण आरम्भ करने की सूचना स्थानीय प्रशासन एवं निर्माण आरम्भ करने से 15 दिन होगा।
4 यदि कार्य देखना निकलती है तो मांगे जाने पर अधिकारी खर्चे में अतिरिक्त प्रदान करना होगा।
5 सीमेंट एवं स्वीकृत सम्बन्धी विवरण अंकित कर सूचनापट्ट लगाना अनिवार्य है।
6 मानचित्र प्रतिलिपि/अंकित पार्टिक्ल भवन का अन्तर मात्र पार्टिक्ल के रूप में किया जायेगा।
7 मानचित्र में प्रस्तावित डेवलपर का निर्माण पत्रक निर्माण की अवधि/भूमि पत्र प्राप्त करने के उपरान्त प्रारम्भ किया जायेगा साथ ही डेवलपर के निर्माण के समय समस्त सुरक्षा प्रश्नों की व्यवस्था की जायेगी।
8 निर्माण पूर्ण करने के पश्चात पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, उद्योजना मान के उल्लंघन अति की अनुमति दी जायेगी।
9 मुख्य अभि शासन अधिकारी के पत्रांक UPSN/2026/19766/LCK/LUCKNOW/1273/UD दिनांक 23.06.2020 के माध्यम से देय नये पिंडों का भुगतान करना होगा।
10 गैरेज पर लेन्टाइट शीटिंग एवं सेलर छाद शीटिंग प्रभावी स्थायित्व बनाया अनिवार्य है।
11 फायर मानचित्र निर्माणकार्य-1961 के प्रावधानों का पालन करना होगा।
12 भवन निर्माण में पेवमन्ट सेफ्टी कार्यालय तथा सेफ्ट एक्ट के प्रावधानों के अन्तर्गत समस्त सुरक्षा प्रश्नों की पूर्तिमिता किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13 पेवमन्ट लिफ्ट/ग्रीन मोड के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रावधान सुरक्षा व्यवस्था का शपथ किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
14 विकासकर्ता द्वारा शुद्धतर ड्राइंग व डिजाईन पत्र संख्या-IET/CE/Construction/JBN/1003 दिनांक 21.09.2021 के माध्यम से डा० पोलैण्ड, अीवास्तव, आर्केटर, डिजाईनर आर सिविल इन्जीनियर, आई.ई.ए. लखनऊ द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लइसेन्स विभाग द्वारा किया मान्य सुनिश्चित करना होगा।
15 निकासन, सुनिश्चित व अवरुद्ध व्यक्तियों के भवन में आवागमन हेतु शासनादेश के अनुसार प्रारम्भ किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
16 फायरसेफ्टी के प्रश्न में सुरक्षाएँ प्रश्न, पेवमन्ट सर्विस सिस्टम व सुरक्षाएँ का प्रबन्ध, लैण्ड स्केपिंग का विकास का प्रश्न सुनिश्चित किये जाने का दिये गये शपथ पत्र दिनांक 20.01.2021 का आवश्य पालन करना होगा।
17 फायर टाप सीलर फोटो कोण्टाक्ट सहर फाइट की स्थापना भवन के मुख्य सीढ़ियों के न्यूनतम 25 प्रतिशत फंक्शनल एरिया एवं अनिवार्य रूप से की जायेगी।
18 यू-पजनी यह सुनिश्चित करेगा कि भवन पर किसी प्रकार से गड्ढे न हों तथा उससे वहां भवन न हो एवं अपार-बरस की वाटरिंग की कोई सीटी न पहुँचे यदि ऐसा पाया जाता है, तो उसका भवन मानचित्र निरस्त कर दिया जायेगा।
19 भूमि की सम्पत्ति के सुनिश्चित निर्माण स्थल के भाग का टाक्स ग्रीन पट्टी बनाकी करनी होगी के निर्माण सामग्रियों के भवन का ही उसे किनारा सी व्यवस्था की जाने का उन्हें निर्माण आदि से द्वारा कर रखा जाने।
20 यदि पुरातत्व के सम्बन्ध में अवलेखा द्वारा किसी भी प्रकार का तथ्य विसरी का प्रकाश पाया जाता है, तो उसका नगर निगमान एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-16(2) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
21 पार्कलेस शर्तों का उल्लंघन करने पर उत्तर नगर योजना एवं विकास अधिनियम -1973 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही स्थानित की जायेगी।